संख्या 1682/V/2006-369(सा.)/2004-टी.सी.

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग — देहरादून : दिनांक : 9 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2006

विषयः नगर पालिका परिषद, विकासनगर हेतु अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2005-06 में सी.सी.सड़कों हेतु स्वीकृत कार्यों को टाइल सड़कों में परिवर्तित करने के फलस्वरूप संशोधित आगणन पर वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 280/V-श.वि.-06-369(सा.)/04-टी.सी. दिनांक 10.2.2006 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत सी.सी. सड़कों को टाइल सड़कों में परिवर्तित किए जाने हेतु नगर पालिका परिषद, विकासनगर (देहरादून) द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन रू. 80.67लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त, संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार रू. 79.74लाख (रूपये उन्यासी लाख चौहत्तर हजार मात्र) की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ पूर्व में शासनादेश दिनांक 10.2.2006 द्वारा सी.सी. सड़कों हेतु स्वीकृत धनराशि रू. 67.62लाख को घटाकर (रू. 79.74लाख-रू. 67.62लाख) अन्तर की अवशेष रू. 12.12लाख (रू. बारह लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय। इसके लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।
4. टाईल सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-3173/V-श0वि0-2006, दिनांक-30 अगस्त, 2006 जो वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव

क्रमशः..

8. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
9. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
10. निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
12. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
13. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
14. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
15. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
16. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
17. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।
18. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
19. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
20. कार्य पूर्ण करके दि0 31-3-07 तक इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

(नायाबती डकरियाल)

संख्या :1688/V/2006–369(सा.)/2004–टी.सी. दिनांक :9 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2006 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कार्य का नाम	टाइल सड़क हेतु संशोधित आगणन की लागत	अनुमोदित आगणन/ स्वीकृत धनराशि
01	डाकपत्थर रोड एवं दिल्ली यमनोत्री मार्ग से सीगरा कालोनी की ओर सड़क निर्माण कार्य	14.53	14.33
02	विद्यापीठ मार्ग सड़क निर्माण कार्य	8.92	8.88
03	कालेज रोड सड़क निर्माण कार्य	8.04	7.94
04	दिल्ली–यमनोत्री मार्ग पर अनिल नेत्र चिकित्सालय से श्री रामसिंह चौहान के घर तक सड़क निर्माण कार्य	5.97	5.90
05	उपासना सिनेमा से पालिका बाजार के पीछे तक सड़क निर्माण कार्य	5.07	5.02
06	नन्ही दुनिया स्कूल के समीप सड़क निर्माण कार्य	5.13	5.08
07	इन्दिरा उद्यान मार्ग एवं पश्चिम वाला मार्ग से श्री रमेश बिजौला के घर की ओर सड़क निर्माण कार्य	4.34	4.28
08	हुकुमचन्द मानचन्द मार्ग से सिंचाई नहर तक सड़क निर्माण कार्य	3.94	3.89
09	सजवाण भवन के समीप सड़क निर्माण कार्य	3.29	3.25
10	साकेत विहार एवं सैय्यद रोड के मध्य सड़क निर्माण का कार्य	2.94	2.90
11	गुरुद्वारा गली सड़क निर्माण कार्य	2.74	2.71
12	इन्दिरा उद्यान से पश्चिमवाला की ओर सड़क निर्माण कार्य	4.31	4.28
13	बाईपास रोड से श्री राघव के घर तक सड़क निर्माण कार्य	2.88	2.84
14	दिल्ली यमनोत्री मार्ग से भट्टा रोड चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य	2.52	2.49
15	पहाड़ी गली में श्री चन्द्रसेन के घर से श्री वेदप्रकाश के घर तक सड़क निर्माण कार्य	2.15	2.12
16	पश्चिमवाला मार्ग से श्री कुँवर सिंह के मकान तक सड़क निर्माण कार्य	2.41	2.36
17	शिशु भारती स्कूल से सिंचाई नहर तक सड़क निर्माण कार्य	1.49	1.47
	कुल योग	80.67	79.74

नोट : सी.सी. सड़कों हेतु पूर्व में रू. 67.62लाख स्वीकृत किया गया था। उक्त सड़कों को टाइल सड़कों में परिवर्तित किए जाने हेतु रू. 79.74लाख की संस्तुति प्राप्त हुई है। अतएव उक्तानुसार अन्तर की धनराशि रू. 12.12लाख अब स्वीकृत की जा रही है।

(रूपये बारह लाख बारह हजार मात्र)

(माधवती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

21. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
22. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 973/XXVII(2)/2006 दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या 1628(1)/V/2006 तददिनांक। 9/11/06

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
8. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर (देहरादून)।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

आज्ञा से,

(एन. के. जोशी)
अपर सचिव।